



कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480001

(An Institute Under Government of Madhya Pradesh)

Email: deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com

दूरभाष - 07162-297009



क्रमांक / स्था / विज्ञप्त / सिम्स / 2025 / 13016

छिन्दवाड़ा, दिनांक:- 18/11/2025

—: चयन सूची :—

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ 4-60/2017/55-2, भोपाल दिनांक 06-05-2017/12-05-2017 के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के लिए पद सृजित किये गये हैं। मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. /1/55/2018 भोपाल दिनांक 07-04-2018 के द्वारा "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018" प्रतिस्थापित किया गया है, एवं चिकित्सकीय सर्वग की प्राप्त अनुसूची अनुसार संस्था के चिकित्सा अधिकारी हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक/स्था/विज्ञप्त/7717, दिनांक 28/06/2025 एवं संशोधित विज्ञापन क्रमांक/स्था/विज्ञप्त/8424, दिनांक 14/07/2025 द्वारा रिक्त पद आवेदित उम्मीदवार के दस्तावेज परीक्षण उपरांत पात्र पाये गये उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिनांक 14/11/2025 को आयोजित किया गया था। चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित उम्मीदवार को पद के सम्मुख दर्शित नाम, पदनाम एवं श्रेणी अनुसार चयनित किया जाता है :-

क्र.	पद नाम	श्रेणी	चयनित अभ्यर्थियों के नाम
1.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	अनारक्षित	डॉ राजकुमार धाकड़
2.		अनारक्षित (महिला)	डॉ आभा गुप्ता
3.		अनुसूचित जनजाति	डॉ समीर पुसम
4.		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	डॉ सौरव शर्मा
5.	महिला चिकित्सा अधिकारी	अनारक्षित	डॉ एंजेला भलरॉय

—: प्रतिक्षा सूची :—

क्र.	विभाग	श्रेणी	अभ्यर्थियों के नाम
1.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	अनारक्षित	डॉ श्रद्धा बोबड़े
2.		अनारक्षित (महिला)	डॉ श्रद्धा बोबड़े
3.		अनुसूचित जनजाति	डॉ अनुनय लाल
4.		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	डॉ अनुराग सिंह
5.	महिला चिकित्सा अधिकारी	अनारक्षित	डॉ बाबी राय

निरंतर पृष्ठ क्र 02.....

R

U

अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस

छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

//2//

टीप - 1 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19.08.2019 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा की चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों का चयन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन यह भर्ती रहेगी।

2 नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के उपरान्त संस्था में उपस्थिति देने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

(अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छिन्दवाड़ा इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेस,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/स्था0/विज्ञप्त/सिम्स/2025/13017

छिन्दवाड़ा, दिनांक- 18/11/2025

प्रतिलिपि-

1. सूचना पटल/संस्था की वेबसाइट में प्रदर्शित।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छिन्दवाड़ा इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेस,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)